सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –321 / 2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री शंकरलाल सैनी (आर.ए.एस.)

हरजू देवी पत्नि बंशीलाल जाति मीना निवासी ग्राम तितरिया तहसील केकडी जिला अजमेर

वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

प्रतिवादी

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा **128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम**

निर्णय

दिनांकः–11.2.19

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुयी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व तथ्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

वादिया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तितरिया तहसील केकडी के जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 243 के खसरा नम्बर 236 रकबा 0.81 है. किस्म बारानी उत्तम भूमि जर्ये नामान्तकरण स. 687 दिनांक 22.2.16 से वादिया के नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादिया के स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज खातेदारी की आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादिया के कब्जे, स्वामित्व,आधिपत्य की आराजीयात हैं। जो वादिया के कब्जे काश्त ,उपयोग ,उपभोग , मे चली आ रही है। वादिया की उक्त वादग्रस्त आराजीयात के मध्य स्थायी सीमाचिन्ह नहीं होने से आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादिया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। तहसीलदार केकडी को सुना गया जिसमें तहसीलदार केकडी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु सहमति जताई है। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादिया की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादिया का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादिया के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादिया का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का कस्बा केकडी तहसील केकडी के ग्राम तितरिया तहसील केकडी के जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 243 के खसरा नम्बर 236 रकबा 0.81 है. किस्म बारानी उत्तम भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 11.2.2019 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:29 IST
Reason: SelfAttested